



CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक : छस्वावितवि/प्रशा./2021/२४६

भिलाई, दिनांक : 23/1/21

प्रति,


प्राचार्य/डायरेक्टर
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय
छस्वावितवि, भिलाई

विषय : छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-8 (Fees and Remuneration for Examination) में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ : विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक छस्वावितवि/प्रशा./2020/3004 दि. 07.12.2020।

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मदों में फीस वृद्धि की गई थी। यह फीस वृद्धि सत्र 2020-21 के लिए स्थगित किया जाता है।

आदेशानुसार


23/1/21

कुलसचिव

छस्वावितवि, भिलाई

प्रतिलिपि :

1. परीक्षा नियंत्रक, छस्वावितवि, भिलाई।
2. मुख्य वित्त अधिकारी, छस्वावितवि, भिलाई।
3. प्रभारी अधिकारी, प्रशासन/अकादमिक/इन्फोसेल छस्वावितवि, भिलाई।
4. समन्वयक, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, छस्वावितवि, भिलाई।
5. प्रोजेक्ट हेड, टी.सी.एस., छस्वावितवि, भिलाई।
6. प्रभारी इन्फोसेल विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु।
7. निज सहायक मा. कुलपति।
8. मास्टर फाइल।